...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13/05/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री छगनलाल प्रजापत उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता श्री इन्दरसिंह उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलांट द्वारा ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 114 से 119 व 121 से 126 कुल खसरा 12 कुल रकबा 15.54 हैक्टर में से अपीलांट द्वारा अपने निहित 1/3 हिस्सा में से 1/16 हिस्सा का बेचान जितेश जैन को किया गया। परंतु इसके आधार पर दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2011 माफिक बेचान दर्ज नहीं हुआ है। जिससे रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता भी सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम खीमेल का विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 2011 निरस्त किया जाता है। नामान्तरकरण की पत्रावली पर उपलब्ध सत्यापित प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि माफिक बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 09.09.2016 पु. सं. 125 में पृ. सं. 5 की ईबारत अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली